न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 39/2019

1–पदमसिंह पुत्र श्री तेजसिंह जाति राजपुत निवासी त्योद तहसील सांभर जिला जयपुर, हाल निवासी नावां तहसील नांवा जिला नागौर, राज0

..............अपीलान्ट

बनाम

1.–पटवारी हल्का नावां, तहसील नावां जिला नागौर

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री अजीत सिंह राठौड़, श्री वी.पी.सिंह राठौड़ व नेमीचन्द शर्मा अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से ।

अपील विरूद्ध निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा तहसीलदार बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का, नांवा बनाम पदमसिह, मु0सं0 46/19 निर्णय दिनांक : 05.07.2019 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट का निरस्त करने बाबत।

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक :29.01.2021

{1} –मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार नांवा द्वारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2019 सरकार बनाम पदमसिंह में निर्णय दिनांक 05.07.2019के तहत मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नं0 01 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील भूमि पर नमक क्यार बनाकर अतिक्रमण करने व पूर्व में भी सम्वत 2074 में अतिक्रमण करने पर अप्रार्थी के खिलाफ भौतिक रूप से बेदखली व शास्ति तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी होने से अप्रार्थी के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत अप्रार्थी को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया तथा भौतिक रूप से बेदखली का तथा लगान दर से 64 रू0 अक्षरे चौसठ रू0 की शास्ती आरोपित की गयी। उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर दिनांक 10.07.2019 को अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.07. 2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधिनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड मंगाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में विक्रय पत्र की फोटो प्रति, अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय 05.07. 2019 की फोटोप्रति, अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 28/2019 सरकार बनाम प्रदीप कुमार शाह के फर्द अहकाम दिनांक 17.06.2019 से 16.07.2019 की फोटोप्रति,पटवारी हल्का नावां की रिपोर्ट की फोटोप्रति,, फर्द बेदखली की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, गिरफतारी वारण्ट की फोटोप्रति,पटटा विलेख की प्रति पेश की गयी।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{2}(1) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(2) –यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06. 2019 को जारी नोटिस दिनांक 02.07.2019 की पेशी हेतु जारी किया गया । उक्त नोटिस अपीलार्थी को कभी नहीं मिला एवं उक्त नोटिस पर अपीलार्थी का स्थायी पता ग्राम गोविन्दी तहसील नांवा पर जारी किया गया नोटिस की तामिल आबाद मकान पर चस्पानगी में बताया गया ।

{2}(3) – यह है क उक्त नोटिस पर दो मोतबरान कानाराम पुत्र छितर जाति जाट निवासी खारड़िया व मांगूराम पुत्र हीराराम जाति बलाई निवासी नांवा के होना बताया गया है, जबकि अपीलार्थी के गांव में करीब 30–35 किमी दूर के व्यक्ति है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

उक्त नोटिस चस्पानगी भी कानून के विरूद्ध जाकर करवाये है। जिससे अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(4) – यह है कि अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तरीके से नहीं दी गई एवंम न ही अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की लेस मात्र जानकारी ही थी। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी दैनिक अखबार द्वारा दिनांक 06.07.2019 को ही प्राप्त हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उक्त आलौच्य निर्णय की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक में रखकर केवल राजनैतिक द्वेषता वशं निर्णय किया है, जो काबीले निरस्त है।

{2}(5) – यह है कि अपीलार्थी ने तत्काली खातेदार नानूराम पुत्र चन्द्राराम के नाम खसरा नम्बर 251 रकबा 02.02 हैक्टेयर भूमि को जरिये पंजिकृत विक्रय–पत्र के खरीद की एवम अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई, उक्त भूमि का पटटा विलेख नियम 12(4) प्रपत्र–4 के द्वारा सहायक निदेशक जिला उद्योग केन्द्र नागौर जारी किया हुआ है, जो समय समय पवर कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र नागौर द्वारा लीज डीड जारी की हुई है। उक्त भूमि से संबंधित समस्त दस्तावेजात अपील के साथ पेश है।

{2}(6) – यह है कि अपीलार्थीगण के नाम जितनी भूमि की लीजडीड जारी की हुई है, उससे अधिक या कसी भी सरकारी भूमि पर एक ईन्च भूमि पर अतिकमण नहीं कर रखा है। मौके पर अपीलार्थी का आज भी संबंधित कार्यालय में जारी नक्शा के अनुसार ही आज भी है। मगर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जानकारी व बिना किसी विधिक कार्यवाही किये ही एक पक्षीय निर्णय कर दिया, जिससे भी यह स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(7) – यह है कि अपीलार्थीगण को उक्त प्ररकण के अलावा सम्वत् 2074 या कभी अतिक्रमण बाबत न तो नोटिस ही दिया, न ही अपीलार्थी ने कसी सरकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

भूमि पर ही अतिक्रमण किया था या है एवं पश्चातवर्ती निर्णय की पत्रावली भी उक्त पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इसलिए अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है एवं उक्त प्रकरण संबंधि कोई भी दस्तावेज उक्त पत्रावली में भी नहीं है। जिससे भी यह अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(8) – यह है कि उक्त प्रकरण में पत्रावली में कभी भी बहस हेतु नियत नही की गयी एवं ऑडरशीट में बहस अन्तिम कभी भी नहीं लिखा हुआ है।जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक द्वेषता वंश उक्त निर्णय किया जो काबिले निरस्त है।

{2}(9) –यह है कि अपीलार्थी की वृद्ध व हार्ड, अस्थमा, पीपी,सुगर आदि की बीमारी से भी पिडित है। जिनका ईलाज निरन्तर चल रहा है। यदि उक्त प्रकरण में सिविल कारावास से दण्डित किया तो अपीलार्थी को अजहद नुकसान होगा।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का नांवा व भू0अ0निरीक्षक नावा की रिपोर्ट, अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम साभंर झील, नावां के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार, बनाकर अतिक्रमण किया है, तथा पूर्व मे भी सम्वत 2074 से अतिक्रमण करना पत्रावली संख्या 29/18 रिकार्ड पर उपलब्ध होने से साबित है कि अप्रार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस बाद तामील होने के उपरान्त भी अनुपस्थित होना अभिलेख से साबित होता है। उक्त गै0मु0 झील सरकारी भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी ने 30.07.19 की पटवारी हल्का नावां की मौका बेदखली फर्द रिपोर्ट भी पेश की है, जिसके अनुसार मौके पर से अतिकमित रकबा से अतिक्रमी ने स्वयं कब्जा हटा लिया जाना अंकित किया है, जिससे हस्तगत सिवायचक भूमि को उसके द्वारा कब्जे राज भी ले लिया गया है। जिसमें 3 माह का सिविल कारावास भी दिया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

स्वयं राजकीय भूमि से स्वतः कब्जा हटा लिया जाने से सहानुभूतिपर्वक 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित होने से अधिनस्थ न्यायालय का फैसला बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाना उचित है।

:::: आ दे श ::::

अपीलान्ट की अपील पर सहानुभुति पूर्वक विचार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2019 में दी गयी 3 माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त करते हुवे अधिनस्थ न्यायालय का बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)